सप्तदश माला, खंड 20, अंक 14 **गुरुवार, 4 अगस्त, 2022**
13 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(सत्रहवीं लोकसभा)

(खंड 20 में अंक 11 से 16 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कैलाश बैसोया
संयुक्त निदेशक

मनोज कुमार सिंह
उप निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 20, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)
अंक 14, गुरुवार, 4 अगस्त, 2022 / 13 श्रावण, 1944 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 265	11-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26
तारांकित प्रश्न संख्या 266 से 280	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	

* किसी सदस्य के नाम के पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 27-38

53-59

राज्य सभा से संदेश 39

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

8वां प्रतिवेदन 40

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

21वें से 23वां प्रतिवेदन 41

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

6वां प्रतिवेदन 42

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

30वां प्रतिवेदन 43

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

34वां तथा 35वां प्रतिवेदन 44

रेल संबंधी स्थायी समिति

12वां प्रतिवेदन 45

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

14वां तथा 15वां प्रतिवेदन 46

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

32वें से 36वांप्रतिवेदन 47

कार्य मंत्रणा समिति

35वां प्रतिवेदन 48

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 49-52

(1) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रहलाद सिंह पटेल 49

(2) (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के संबंध में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों /टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 50

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 24वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री अर्जुन राम मेघवाल 51

(4) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की 15वें की प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

ई. बिश्वेश्वर टुडु 52

नियम 377 के अधीन मामले 60-82

(एक) झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र में बरवाडीह, लातेहार और छीपादोहर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में

श्री सुनील कुमार सिंह 61

(दो) संविधान की आठवीं अनुसूची में कोशाली को शामिल किए जाने के बारे में

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव 62

(तीन) गुजरात के नरोडा में ईएसआईसी अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल 63

(चार) झारखंड के देवघर जिले में जल-विद्युत या ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के बारे में

श्री सुनील सोरेन 64

(पाँच) रीवा-मुंबई सीएसएमटी रेलगाड़ी (गाड़ी संख्या 02187/88) के प्रचालन के बारे में

श्री जनार्दन मिश्र 65

(छः) बांसवाड़ा (राजस्थान) में मानगढ़ धाम एवं इसकी परंपरागत आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कनकमल कटारा 66

(सात) रेल परियोजनाओं हेतु जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की दर एवं रोजगार के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे 67

(आठ) उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सोनिया विहार में मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

श्री मनोज तिवारी 68

(नौ) ओडिशा में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की समान रूप से आपूर्ति किए जाने के बारे में

श्री सुरेश पुजारी 69-70

(दस) महाराष्ट्र के नांदेड़-लोहा-अहमदपुर-लातूर रोड तथा बोधन-मुखेड-लातूर

रोड रेल मार्गों के निर्माण की आवश्यकता

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे 71

(ग्यारह) राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी 72

(बारह) वन सीमा क्षेत्र के आसपास बफर जोन बनाए जाने के बारे में

एडवोकेट डीन कुरियाकोस 73

(तेरह) ई.एस.आई.सी. एझुकोन को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के बारे में

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 74

(चौदह) यमन की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री के. मुरलीधरन 75

(पंद्रह) तमिलनाडु में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिए जाने के बारे में

डॉ. गौतम सिगामणि पोन 76

(सोलह) नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों के विलय के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू 77

(सत्रह) महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित टाइगर प्वांइट, लोनावाला में पर्यटकों हेतु सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे 78

(अट्ठारह) नेपाल में कोसी नदी पर बांध के निर्माण के बारे में

श्री दिलेश्वर कामैत 79

(उन्नीस) उर्वरकों एवं बीज की कीमतों में वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री रितेश पाण्डेय 80

(बीस) जाति-आधारित जनगणना तथा रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु 81

(इक्कीस) ब्रेल एवं संकेत भाषा के विकास तथा कॉकलियर इंप्लांट उपकरणों पर जीएसटी के बारे में

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 82

(बाईस)अग्निपथ योजना के बारे में

श्री हनुमान बेनीवाल 83

सांविधिक संकल्प: सीमा शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन के संबंध में 84

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन की अनुमति प्रदान करने संबंधी सांविधिक संकल्प 85

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

- - - - - -

गुरुवार, 4 अगस्त, 2022 / 13 श्रावण, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[1]

... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 261

...(व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 261)

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन: महोदय, मंत्री जी को अपना निवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। ... (व्यवधान) मुझे दो महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न पूछने हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, जब सभा व्यवस्थित नहीं है, तो मैं पूरक प्रश्न कैसे पूछ सकता हूं? पहले सभा को व्यवस्थित किया जाए ताकि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछ सकूं। ... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय, श्री टी. एन. पार्थिपन, श्री बैन्नी बेहनन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : नो|

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री निशिकांत दुबे।

डॉ. निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जी रोड के लिए तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक वेहिकल के लिए भी बड़ा काम कर रहे हैं।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है।... (व्यवधान) प्रत्येक साल डेढ़ लाख से ऊपर मौतें इस देश में रोड एक्सीडेंट्स के कारण होती हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर आप सीट पर जाएंगे, तो 12 बजे वाला मौका आपको मिलेगा, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। आप जा रहे हैं - नो।

निशिकांत जी।

डॉ. निशिकांत दुबे: अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक साल रोड एक्सीडेंट्स से डेढ़ लाख मौतें इस देश में होती हैं और सरकार ने यह फैसला किया है कि प्रत्येक कार में कम से कम 6 एयरबैग्स लगे होने चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट के बाद हम उनकी जान बचा पाएं।...(व्यवधान) इसके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की जो डेट है, वह अक्टूबर, 2022 है, लेकिन अभी तक वह जारी नहीं हुआ है।... (व्यवधान) यह अगस्त का महीना चल रहा है।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न है कि कब तक यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि एयरबैग्स की पॉलिसी लागू हो जाएगी और लोगों की जानें बच जाएंगी?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वेल में खड़े होकर अगर आप आसन से बात करेंगे, तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अपना काम करिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल अवश्य है कि विशेष रूप से पांच लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और डेढ़ लाख मौतें होती हैं।...(व्यवधान) सम्मानित सदस्य ने जो कहा है, अभी फिलहाल दो एयरबैग्स ऑलरेडी कंप्लसरी हैं।... (व्यवधान) पीछे बैठने वाले लोगों के लिए एयरबैग्स नहीं हैं।...(व्यवधान) हमारे डिपार्टमेंट ने सोचा है कि एयरबैग की कीमत केवल 800 रुपये आती है और हम

यह कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे, उतने एयरबैग्स हों ...(व्यवधान) लोगों की जान बचायेंगे।...(व्यवधान) इसके बारे में यह प्रस्ताव विचाराधीन है।...(व्यवधान) सरकार जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास करेगी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ: महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रसिद्ध भारत योजना के दूसरे चरण के तहत एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे के निर्माण और संचालन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि देश भर में इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा प्रदान करें और इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी ब्यौरा प्रदान करें।

आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान भारतीय ई.वी. निर्माताओं के सामने आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भारतीय निर्माता लिथियम-आयन बैटरी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान से आयात की जाती हैं, जबकि बैटरी-ग्रेड लिथियम कार्बोनेट की कीमतें, जो कि एक प्रमुख इनपुट है, वर्ष-दर-वर्ष 400 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से भारतीय ई.वी. विनिर्माण उद्योग को इस तरह के व्यवधानों से बचाने के लिए इस संबंध में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध करना चाहूंगी।

महोदय, मेरे राज्य, आंध्र प्रदेश के संबंध में माननीय मंत्री जी को एक अनुरोध भेजा गया है। यहां, मैं तिरूपति के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं, लेकिन काकीनाडा और राजामुन्दरी के प्रस्तावों को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। काकीनाडा और राजामुन्दरी के लोगों की ओर से, मैं माननीय मंत्री जी से इन जिलों में ई.वी. विनिर्माण उद्योग को मंजूरी देने का अनुरोध करना चाहती हूं।

[हिंदी]

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि इलेक्ट्रिक के वेहिकल की डिमांड बहुत बढ़ रही है।...(व्यवधान) ओवर ऑल ईवी स्केल में 335 पर्सेंट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 607

पर्सेंट, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर में 150 पर्सेंट, इलेक्ट्रिक फोर व्हिलर में 300 पर्सेंट और इलेक्ट्रिक बसेज़ में 30 पर्सेंट डिमांड बढ़ी है। ...(व्यवधान)

अभी इतना ही नहीं, वेटिंग टाइम फॉर ईवी कार के लिए 8 से 10 महीना हो गया है। (व्यवधान) मुझे इस बात की खुशी है कि बड़े पैमाने पर इसकी सेल बढ़ रही है, 10 मिलियन ईवी वर्ष 2030 तक आएगी, जो देश का इम्पोर्ट कम करेगी और प्रदूषण भी कम करेगी। (व्यवधान)।

मैं आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल से एक किलोमीटर 11 रुपये 50 पैसे, डीजल से 9 रुपये 50 पैसे, सीएनजी से 7 रुपये और ईवी से 1 रुपये आता है। इसमें कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरी बहुत बढ़ी है, जो 50 परसेंट आती है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। ... (व्यवधान)

मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में लिथियम ऑयन बैटरी की कीमत 180 डॉलर प्रति किलो वाट ऑवर थी, 2021 में 140 डॉलर प्रति किलो वाट ऑवर हुई, 2022 में 135 डॉलर प्रति किलो वाट ऑवर हुई। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि दो सालों के अंदर ईवी के हमारे मोटरगाड़ी और स्कूटर की कीमतें पेट्रोल के बराबर दो सालों के अंदर होगी। चूंकि इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ... (व्यवधान) मुझे बहुत खुशी है कि इसके ऊपर कमेस्ट्री में काफी रिसर्च हुआ है। लिथियम आयन के साथ सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और जिंक आयन टेक्नोलॉजी का रिसर्च हो रहा है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इंडियन ऑयल ने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी तैयार की है, इसमें ड्राइविंग रेंज 450 किलोमीटर है। [अनुवाद]

सी.एस.आर. के तहत, केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल अनुसंधान संस्था एक तकनीक पर काम कर रही है। डी.आर.डी.ओ. विभिन्न वैकल्पिक रसायन विज्ञान संबंधी शिक्षा में अनुसंधान हेतु वित्तपोषण कर रहा है और उन्होंने एक लिथियम-आयन प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम फेरस फॉस्फेट प्रौद्योगिकी विकसित की है जो लागत को और कम करेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण, नियोडिमियम जैसी पृथ्वी पर पाई जाने वाली दुर्लभ धातुएं जो एन.डी.एफ.ई.बी. मैग्नेट में उपयोग की जाती हैं, ई.वी. के आवश्यक घटक हैं। [हिंदी]

हम बैटरी स्वैपिंग का काम भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, फ्लैक्स इंजन के साथ इथेनॉल इलेक्ट्रिक से हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, ... (व्यवधान) इससे प्रदूषण

कम होगा, हमको नए रोजगार भी मिलेंगे। हम जीरो कार्बन का टारगेट 2070 तक, जिसके लिए हमने कमीट किया है, हम उसकी तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जहां तक चार्जिंग स्टेशन की बात है, बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन शुरू हो रहे हैं। वैसे आजकल स्कूटर और व्हिकल ऐसे हैं, जिसे रात में घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। एनएचएआई में हम साढ़े छह सौ रोड पर चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में इसकी सुविधा हो रही है, पार्किंग प्लेसज में हो रही है, ... (व्यवधान) इसके बारे में कोई अड़चन नहीं होगी। भारत सरकार ने अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा साढ़े पांच हजार इलेक्ट्रिक बसों का टेंडर निकाला है। उसमें पहली बार केरल में ढ़ाई सौ बसें दी गई हैं और पूरे देश में आने वाले समय में 50 हजार इलेक्ट्रिक बसें लाने का विचार है, ... (व्यवधान)। इससे हमारे देश की जनता के टिकट का रेट भी कम होगा और जो टेंडर आया है, केवल 41 रुपये प्रति किलोमीटर, डीजल का 115 रुपये किलोमीटर, यह बहुत कम पैसे में होगा, इससे प्रदूषण भी खत्म होगा। आम आदमी एयर कन्डीशन बसों में घूमेगा और टिकट का रेट भी कम होगा, ... (व्यवधान) स्टेट ट्रांसपोर्ट का लॉस भी नहीं रहेगा, यह मेरा विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 262, श्रीमती चिंता अनुराधा जी - उपस्थित नहीं।

(प्रश्न संख्या 262)

श्री रितेश पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सीआरआई रोड्स के जो फंड्स एलोकेट हुए हैं, एविएशन स्किल डेवलपमेंट, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एयरपोर्ट को फेसिलिटेट करने के लिए लोग कार्यरत रहते हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग के लिए सरकार का ऐसे डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगाने का कोई प्लॉन है? हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वहां इसकी कमी होने की वजह से नौजवानों को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता और इस सेक्टर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि क्या ऐसे ट्रेनिंग सेंटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी खोलने का प्रयास करेंगे, ताकि मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, बस्ती और आजमगढ़ जैसे जिलों को भी फायदा मिलने का काम हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: माननीय अध्यक्ष जी, आज देश में नागर विमानन क्षेत्र में विस्तृत प्रगति

हो रही है, उसके आधार पर माननीय सांसद ने जो कहा है, बड़ा उचित सवाल है कि हमें मानव संसाधनों में वृद्धि लानी होगी। इसी सोच और विचारधारा के साथ एरो स्पेस एंड एविएशन सैक्टर स्किल काउंसिल द्वारा पूरे देश में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्पोरेशन और नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड के आधार पर करीब 110 एफिलिएटेड निजी क्षेत्र के ट्रेनिंग सैंटर्स स्थापित किए गए हैं। इन सैंटर्स के आधार पर टोटल कैन्डीडेट्स असेस्ड और सर्टिफाइड, दोनों यानी करीब 21,000 कैंडीडेट्स सर्टिफाइड हो चुके हैं। 231 ट्रेनर्स सर्टिफाइड हुए हैं, 83 असेसर्स सर्टिफाइड हुए हैं और 110 एफिलिएटेड ट्रेनिंग इसके साथ हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, उत्तर प्रदेश में खासकर इस योजना के अंतर्गत सीएई की सिमुलेशन ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड है। एक सैंटर जौनपुर में बना हुआ है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेलवपमेंट, नारायण कॉलेज, ओम स्किल सैंटर और एचएएल का टेक्नीकल ट्रेनिंग सैंटर लखनऊ में है। ... (व्यवधान)

महोदय, हमारी कोशिश है कि इस योजना के तहत अनेक राज्यों में अनेक संस्थाएं और सैंटर्स आगे बढ़ें ताकि हम इस देश में इस बहुत महत्वपूर्ण अधोसंरचना के क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ा पाएं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस.आर. पार्थिबन: महोदय, 2 जून, 2021 से सलेम हवाई अड्डे से उड़ान सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मैंने सलेम हवाई अड्डे से उड़ान सेवा फिर से शुरू करने के संबंध में इस महती सभा में कई बार मुद्दा उठाया था, और व्यक्तिगत रूप से माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात की थी। मंत्री जी ने 31 दिसंबर, 2021 को अपने पत्र के माध्यम से यह कहते हुए उत्तर दिया था कि मार्च, 2022 में सलेम से हवाई सेवा फिर से शुरू की जाएगी। हालांकि, अभी तक वहां से कोई उड़ान सेवा आरंभ नहीं की गई है। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और सलेम हवाई अड्डे पर उड़ान सेवा फिर से कब शुरू होगी? ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न विमानन कौशल विकास केंद्र के मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। उनका प्रश्न सलेम हवाई अड्डे से उड़ान सेवाओं के संबंध में है। सलेम हवाई अड्डे की बोली लगाई गई है। इसके तहत, जब भी सेवा की बोली लगाई जाएगी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा संचालित हो जाए। माननीय सदस्य का मेरे पास आने और मिलने के लिए हार्दिक स्वागत है और मैं

निश्चित रूप से इस पर चर्चा करूंगा। ... (व्यवधान)

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 263, श्री रामदास तडस।

(प्रश्न संख्या 263)

श्री रामदास तडस: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 60 साल में मेरे संसदीय क्षेत्र में एक नेशनल हाईवे था और अब दस नेशनल हाईवे हो गए हैं। ... (व्यवधान)

महोदय, सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राजमार्ग और जिला मार्ग के विकास तथा रेल ऊपरी पुल के कार्य स्वीकृत किए जाते हैं। सीआरआईएफ विकास कार्य के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में सांसदों के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाता है। क्या केंद्र सरकार सीआरआईएफ के अंतर्गत विकास कार्य के नए प्रस्ताव चयन की प्रक्रिया में सांसदों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने पर विचार करेगी? (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, सैंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, सीआरआईएफ की बहुत डिमांड है। इस समय विशेषकर राज्य सरकारों के रिकमेंडेशन के आधार पर मंजूरी ली जाती है। बहुत से सांसदों ने मांग की है कि इसमें हमारी रिकमेंडेशन नहीं आती हैं। ... (व्यवधान) आदरणीय वित्त मंत्री जी के अधिकार में इसका नीति निर्धारण होता है। मैंने उनकी बातों के आधार पर उनसे अनुरोध किया है और 50 कि 50 टके फंड उसी राज्य में सांसदों को रिकमेंड किया है। ... (व्यवधान) अगर ऐसा किया जाए तो सांसदों को लाभ मिल सकता है। ... (व्यवधान) वैसे फंड की बहुत कमी है। उस राज्य में पेट्रोल, डीजल बेचा जाता है, उसके ऊपर जो सेस लगता है, उससे यह फंड एनर्जी, वाटरवेज़, एयरपोर्ट, रेलवे, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सेनिटेशन, कॉम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि सबको मिलता है।... (व्यवधान)

इसमें कमी है और डिमांड ज्यादा है। फिर भी, उनकी भावनओं को ध्यान में रखकर मैं वित्त मंत्री जी से इस प्रस्ताव को रेकमेंड करने के लिए जरूर सिफारिश करूंगा। ... (व्यवधान)

श्री रामदास तडस: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को यह अवगत है कि सीआरआईएफ के अंतर्गत वर्धा शहर में बजाज चौक, रेल पुल का कार्य स्वीकृत है और वह कई सालों से लंबित है। उस निर्माण कार्य को राज्य सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा कर रहा है। रेल और पीडब्ल्यूडी विभाग में योग्य समायोजन नहीं रहने के कारण कार्य में देरी हो रही है। लंबित कार्य समय पूर्व पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? ... (व्यवधान)

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम दिनांक 01.10.2016 को वर्कआउट में मिला है। आज छ: साल हुए हैं। यह मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसके लिए अनेक प्रकार के एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं।... (व्यवधान) महाराष्ट्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया था। उन्होंने आज ही सुबह उसको 30 करोड़ रुपये सैंक्शंड किये हैं। लेकिन, इसमें जो छ: साल लगे हैं, यह देरी बहुत ज्यादा है। इससे लोगों को तकलीफ हुई है। ... (व्यवधान)

30 करोड़ रुपये के काम के लिए छ: साल लगना अनुचित है। इसलिए, इसके लिए एक एन्क्वॉयरी कमेटी अप्वाइंट की जाएगी। इस काम के लिए रोड सेक्टर के डीजी की कमेटी अप्वाइंट करके उसमें जो भी रेलवे के अधिकारी दोषी होंगे या गवर्नमेंट के अधिकारी दोषी होंगे, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि रेलवे के अधिकारी गुनहगार होंगे तो रेलवे मंत्रालय के पास भी कार्रवाई करने के लिए एन्क्वॉयरी अधिकारी को भेजा जाएगा और उन तमाम इंजीनियर्स के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यह विश्वास मैं सम्माननीय सदस्य को देता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रो. रीता बहुगुणा जोशी — उपस्थित नहीं।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या- 264 , श्रीमती नवनित रवि राणा जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

(प्रश्न संख्या 264)

श्रीमती नवनित रवि राणा: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि क्या सरकार महिलाओं की सुविधाओं को देखते हुए, सोलर एनर्जी व न्यू एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना या प्रोग्राम शुरू किया है?...(व्यवधान) यह गैस सिलेंडर का एक अच्छा विकल्प भी बन सकता है। यदि हां, तो इसके लिए अभी तक क्या प्रोविजन और फंड डिक्लेयर किये गए हैं? (व्यवधान)

सर, मैं एक और चीज पूछना चाहूँगी। हमारी सरकार सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, परंतु सोलर एनर्जी पर 18 परसेंट जीएसटी लगा रही है।... (व्यवधान) क्या सरकार प्रमोशन को और बढ़ावा देने के लिए जीएसटी की दर कम करेगी या इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएगी? ... (व्यवधान)

सर, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूं, उसके बाद माननीय मंत्री जी उसका जवाब दें। हमारे देश में माननीय नरेन्द्र मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से देश में एक भी कोना ऐसा नहीं है, जो आज तक अंधेरे में रहा हो।... (व्यवधान) परंतु, मेरे क्षेत्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में चिखलदरा और धारणी के 24 गाँव ऐसे हैं, जो आज भी अंधेरे में हैं।... (व्यवधान) मेरा विश्वास है कि यही सरकार उस काम को कर सकती है, क्योंकि 75 सालों से हमारे आदिवासी भाई अभी भी अंधेरे में हैं। उनको उजाला कब मिलेगा? अगर मंत्री महोदय इसके बारे में बताएंगे तो मुझे लगता है कि हमारे भाइयों को इनके द्वारा बहुत ज्यादा हेल्प होगी।... (व्यवधान)

विद्युत मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री आर. के. सिंह): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के दो प्रश्न हैं। मैं दोनों प्रश्नों का अलग-अलग उतर देता हूँ।... (व्यवधान) एक विषय तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके कुकिंग करने की व्यवस्था का है। इसके बारे में सरकार को चिंता थी और चिंता है।... (व्यवधान) हम लोगों ने और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इस पर प्रयोग किया है। दो-तीन तरीके के सोलर चूल्हे और सोलर कुकर डेवलप किए हैं। ... (व्यवधान) अभी वे ट्रायल में हैं। अभी उसका दाम अधिक है। उसमें एक सोलर पैनल की कॉस्ट 45,000 रुपये है। अभी हम लोग उसका ट्रायल कर रहे हैं।... (व्यवधान) एक दूसरा सोलर पैनल, जिसका दाम बहुत ज्यादा है, उसमें ज्यादा पैनल लगते हैं। उसका दाम एक लाख रुपये से ऊपर आता है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसका दाम कम कर

सकें, ताकि वह जनता के पास चला जाए।... (व्यवधान) यह सोलर कुकिंग हम लोगों के लिए चैलेंज है। हमारी और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की भी कुछ एजेंसीज़ उसमें लगी हुई हैं।... (व्यवधान)

महोदय, जो दूसरा सवाल है, माननीय सांसद महोदया बता रही हैं कि उनके क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं, जो कि विद्युतीकृत नहीं हैं। ये बात सही नहीं है। उन गांवों के सभी घर विद्युतीकृत हो गए हैं, लेकिन वे सोलर से विद्युतीकृत हुए हैं।...(व्यवधान) इनकी और वहां के लोगों की मांग है कि हमें सोलर से नहीं, बल्कि आप हमें ग्रिड से कनेक्शन दीजिए। महाराष्ट्र में ग्रिड कनेक्टिविटी बहुत आसान नहीं है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार बातचीत कर रही है कि इनके जो 24 गांव हैं, कैसे हम लोग उनको मध्य प्रदेश से ग्रिड कनेक्टिविटी दे सकते हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास महाराष्ट्र शासन का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, जिसमें वे प्रमाणित करते हैं। मेरे पास दो सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें उन्होंने प्रमाणित किया है कि इन सारे गांवों के जितने भी घर हैं, वे सब सोलर से एनर्जाइज़ हो गए हैं। मैं वह सर्टिफिकेट लाया हूं। मैं उसकी कॉपी माननीय सदस्या को दे दूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कभी भी कोई पेपर किसी माननीय सदस्य को डॉयरेक्ट नहीं देते हैं। आप उसको सभा पटल पर रख दीजिए, उसके बाद उनको दे दिया जाएगा।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री आर. के. सिंह : महोदय, मैं इसे सभा पटल पर रख देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको नियम-प्रकिया का ध्यान रखना चाहिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती नवनित रवि राणा : माननीय मंत्री महोदय जी, जब आपने इस डिपार्टमेंट से संबंधित इन 24 गांवों के बारे में मीटिंग ली थी, तब आपने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि एक भी गांव विद्युत से वंचित नहीं हैं।...(व्यवधान) आप सही कह रहे हैं, मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। हमारे लोग आज भी सोलर पर निर्भर हैं, कोविड के दौरान हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए दो साल

इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ, सोशल मीडिया के द्वारा उनकी एजुकेशन हुई है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी महिलाओं को वहां पर कोई भी फोन सुविधा नहीं मिलती है। वहां के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने एक पत्र भी भेजा है कि इन 24 गांवों में अभी भी लाइट नहीं है, हमें ग्रिड से लाइट चाहिए।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार हमारी है और हम आपसे ही अपेक्षा कर सकते हैं। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया है। मुझे इतना विश्वास है कि आप हमारे लोगों को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाएंगे।...(व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या मुझसे मिली भी थी। मैंने पुनः विभाग को निर्देश दे दिया है कि यहां से केन्द्र सरकार एक आदेश निर्गत करेगी।...(व्यवधान) इस प्रकार की जो स्थिति है कि एक राज्य से विद्युतीकरण न करके दूसरे राज्य से करना है, वह सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में नहीं है, बल्कि वह और दो-तीन राज्यों के बीच में भी है।...(व्यवधान) हमने कहा है कि हम लोग इसकी प्रक्रिया बना देंगे, इसकी पॉलिसी बना देंगे, तो इसकी पॉलिसी कुछ दिनों में निर्गत हो जाएगी।...(व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और ऊर्जा मंत्रालय के सक्षम मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने स्वच्छ पृथ्वी के प्रति जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत में संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की 40 फीसदी स्थापित ऊर्जा स्वच्छ स्रोतों पर आधारित होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह भी निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्थापित की जाएगी, जिसमें सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, बॉयो पावर से 10 गीगावाट और छोटी पनबिजली परियोजनाओं से 5 गीगावाट क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि यह लक्ष्य हमारे देश में कब तक प्राप्त हो जाएगा? चूंकि मैं मध्य प्रदेश और सीधी संसदीय क्षेत्र से भी संबंध रखती हूं और मैं माननीय मंत्री जी की ऊर्जा समिति में भी हूं।...(व्यवधान) लोगों में सोलर पावर के प्रचारप्रसार और जागरुकता की बहुत ज्यादा कमी है। इस जागरुकता को बढ़ाने की जरूरत है। सोलर पावर एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र की स्थिति क्या है?...(व्यवधान)

श्री भगवंत खुबा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने वर्ष 2022 और वर्ष 2030 के लक्ष्य के बारे में कहा है। हम लोगों ने वर्ष 2022 का लक्ष्य तो पूरा कर लिया है।...(व्यवधान) उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमने सोलर पावर के अंदर 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, जिसमें ऑलरेडी 57.71 गीगावाट कमीशन हो चुका है।...(व्यवधान)

इसके अलावा 48.7 गीगावाट की अंडर इंप्लीमेंटेशन है।... (व्यवधान) हमने ऑलरेडी 16.69 गीगावाट का टेन्डर किया है। इस तरह से हमने सोलर में लगभग 123.10 गीगावाट का टेन्डर किया है।... (व्यवधान) विंड एनर्जी के लिए हमारा टारगेट 60 गीगावाट का था। हम अभी तक 40.79 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कर चुके हैं। अभी इसमें अंडर इंप्लीमेंटेशन 11.56 गीगावाट का है और टेन्डर 2.4 गीगावाट का हुआ है। इस तरह से 54.75 गीगावाट विंड एनर्जी के लिए है। हमारा बायो एनर्जी में 10 गीगावाट का लक्ष्य है।... (व्यवधान) इसके अन्दर हमने 10.68 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की है। हम ऑलरेडी इसे कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा स्मॉल हाइड्रो के अन्दर 5 गीगावाट का लक्ष्य था। उसमें हम 4.89 गीगावाट को कमीशन कर चुके हैं और अंडर इंप्लीमेंटेशन पॉइंट 4 गीगावाट का है।... (व्यवधान) इस तरह से हमने निर्धारित से ज्यादा लक्ष्य को प्राप्त किया है। हमने 175 के बदले 258.82 गीगावाट की रिन्युएबल एनर्जी का लक्ष्य प्राप्त किया है।... (व्यवधान) माननीय सांसद सीधी लोक सभा क्षेत्र से हैं तो हम पूरी जानकारी लेकर उन्हें प्रोवाइड करवा देंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या- 265, श्री विष्णु दत्त शर्मा ।

(प्रश्न संख्या 265)

श्री विष्णु दत्त शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का परिपूर्ण जवाब है। मैंने 'अटल भूजल योजना' का प्रश्न माननीय मंत्री जी और सदन के सामने रखा है।... (व्यवधान) उसके उत्तर में जो सारी चीजें मिली हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को और जल शक्ति मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र और मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो में छतरपुर और पन्ना को इस योजना से जोड़ा है।... (व्यवधान) बुंदेलखंड को केन-बेतवा जैसी परियोजना देकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने पानी के लिए चिंता व्यक्त की है, उसके लिए मैं सदन के माध्यम से माननीय

प्रधान मंत्री जी को तथा जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।... (व्यवधान)

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन क्षेत्रों में 'अटल भूजल योजना' को लागू किया जा रहा है, क्या वहां पर भूमिगत जल के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कृषि पद्धतियों को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं? ... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से मध्य प्रदेश और विशेष रूप से पन्ना और छतरपुर जिले के संबंध में विवरण चाहता हूँ।... (व्यवधान)

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में चलाई जाने वाली इस योजना का उल्लेख किया है, जो इस देश की पहली अनूठी योजना है तथा जिसमें हम हमेशा सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करते थे कि पानी कहां से उपलब्ध हो सकता है, किस स्रोत से पानी लिया जा सकता है और कैसे पानी की आपूर्ति की जा सकती है।... (व्यवधान) इसके अलावा हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य से इस योजना का निर्माण 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में किया है।... (व्यवधान)

निश्चित रूप से माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, इस विषय पर हम ग्राउंड वाटर कन्जर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर काम करने के साथ-साथ इस योजना के माध्यम से ग्रामीणजनों या स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर उनके माध्यम से और उन्हीं को फ्रंट पर रखते हुए यह निश्चित करते हैं कि किस तरह से किन फसलों का चुनाव किया जाए, ताकि मिनिमम पानी में अधिकतम उत्पादन हो सके।... (व्यवधान) इसी के साथ-साथ इस योजना के माध्यम से हमने हर एक गांव में जहां यह योजना लागू है, वहां विलेज वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने की कल्पना की है कि गांवों में कुल कितना पानी सतह पर तथा भूगर्भ में उपलब्ध है।... (व्यवधान) उसके परिप्रेक्ष्य में वे उस साल में कितना पानी उपयोग कर सकते हैं ताकि वे उसी के अनुरूप फसलों का उत्पादन करें, फसलों का बीजारोपण करें और फसलें ले सकें। कौन व्यक्ति कितने पानी का उपयोग करेगा, वह प्रोडेटा बेसिस पर गांव अपने आप डिसाइड करता है।... (व्यवधान) हालांकि मैं यह स्वीकार करूंगा कि अभी यह प्रारम्भिक स्तर पर है, लेकिन जहां-जहां, जिस-जिस इस क्षेत्र में यह काम हुआ है, वहां निश्चित रूप से उल्लेखनीय प्रगति इस योजना के माध्यम से हुई है।... (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप जन प्रतिनिधि होने के नाते और यहां जितने भी मेरे सांसद साथी बैठे हैं, जिन सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में यह योजना कार्यकारी है, वहां आप खुद आगे बढ़कर गांवों के लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करें।... (व्यवधान) उनको इसके साथ जोड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इसका बहुत बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा।

श्री विष्णु दत्त शर्मा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या अटल भूजल योजना वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र में पन्ना और छतरपुर जिलों के भूमिगत जल स्तर, ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज और वाटर यूज एफिशिएंसी के मापदण्डों में कोई सुधार हुआ है? इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से सदन के सामने जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अटल भूजल योजना वर्ष 2020 में रोल आउट हुई थी। ... (व्यवधान) राज्य सरकारों ने उस पर अपने दृष्टिकोण से, जिस तरह की अपेक्षा थी, उसको समझ करके काम करना प्रारम्भ किया है। मैं प्रत्यक्ष रूप से यह नहीं कहूंगा कि केवल अटल भूजल योजना के चलते मध्य प्रदेश में, माननीय सांसद ने जो अपने क्षेत्र की चर्चा की है या पूरे मध्य प्रदेश में या यदि मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं कि जिन क्षेत्रों में यह योजना कार्यकारी है, उन क्षेत्रों में कोई युगान्तरकारी परिवर्तन अभी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई है, वह शुरुआत निश्चित रूप से आशा की एक नई किरण दिखाती है।... (व्यवधान)

महोदय, मैं माननीय सदन की जानकारी के लिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2019 के बाद से जिस तरह से पानी के विषय को लेकर अलग-अलग प्लेटफार्म्स से, अलग-अलग अवसरों पर बातचीत की, जल शक्ति अभियान से लेकर अटल भूजल योजना तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमने पानी के सभी पक्षों का ठीक से संयोजन के विषय के प्रति जनता को जागरूक किया, जमीन के पानी के पुनर्भरण, वर्षा जल के पुनर्भरण और इन सब विषयों को साथ में जोड़कर हमने वाटर यूज एफिकेसी पर काम करना प्रारम्भ किया है। ... (व्यवधान) अगर हम पूरे देश की एक मैक्रो पिक्चर देखें तो पूरे देश में तीन साल से, अगर मैं पिछले 10 साल की ग्राउण्ड वाटर अवेलिबिल्टी देखता हूं तो उसके परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2019-20 में 62 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 65 प्रतिशत

और अभी 70 प्रतिशत कुओं में ग्राउण्ड वाटर लेवल बढ़ने लगा है।... (व्यवधान) इसलिए पिछले तीन से यह जो बढ़ने का ट्रेन्ड शुरू हुआ है, निश्चित रूप से यह देश में आशा की एक नई किरण के रूप में दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम इस दिशा में और गति से काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा भूगर्भ जल सिमट रहा था, उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हम प्राप्त कर सकेंगे।... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) अभी हाल के दिनों में बिहार में, खास तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र के पटना जिले में बरसात बहुत कम हुई है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसकी वजह से भूजल... (व्यवधान)

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न सं. 266 से 280 तक)
अतारांकित प्रश्न सं. 2991 से 3220)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 11.33 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन* हुए)

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.0 1/2 बजे

इस समय, श्री बी. मणिक्कम टैगोर और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गये।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिंदी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर -2 , डॉ. वी.के. सिंह जी — उपस्थित नहीं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)|

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7435/17/22)

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की रीति और विशिष्टताएं) विनियम, 2022 जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/सीलिंग फैन/05/2019-20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7436/17/22)

... (<u>व्यवधान</u>)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान-निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान-निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7437/17/22)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्र तेली) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) भारत सरकार तथा जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल, इंक. के बीच फील्ड ढोलका के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(2) भारत सरकार तथा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, भारत और जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इंक, यूएसए के बीच वेवेल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(3) भारत सरकार तथा मोसबाचर इंडिया एलएलसी और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और पेट्रोडाइन इंक के बीच पीवाई-1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(4) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन- 7 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(5) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और जनरल फाइबर डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(6) भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच फील्ड लोहार के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(7) भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच उत्पादन बकरोल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में साझेदारी संविदा।

(8) भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच कारजिसन क्षेत्र के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(9) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बीवी के बीच ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(10) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड और कमांड पेट्रोलियम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और राववा ऑयल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड के बीच रवा ऑयल एंड गैस फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(11) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन प्राइवेट लिमिटेड और केएर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएस-2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध उत्पादन साझेदारी संविदा।

(12) भारत सरकार तथा ऑयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और असम कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच फील्ड अमगुरी के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(13) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनआईकेओ रिसोर्सेज, कनाडा के बीच कैम्बे फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(14) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनआईकेओ रिसोर्सेज, कनाडा के बीच भांडुत फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(15) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वाल्को एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन प्राइवेट लिमिटेड (टीपीएल), हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया के बीच ब्लॉक सीवाईओएस-90/1 (पीवाई-3) के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(16) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल

एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच उनावा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(17) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एस्सार ऑयल लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(18) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच एलोरा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(19) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच नार्थ कथाना के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(20) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हीरामेक लिमिटेड के बीच ढोलसन के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(21) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच फील्ड कंवारा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(22) भारत सरकार तथा इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच बाओला फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(23) भारत सरकार तथा सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सनपेट्रो) के बीच फील्ड हजीरा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(24) भारत सरकार तथा इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच मोढेरा फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(25) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और असम कंपनी लिमिटेड और कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड और सेंचुरियन एनर्जी इंटरनेशनल इंक के बीच ब्लॉक एए-ओएन/7 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(26) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टुल्लो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनजे/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(27) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वाल्को एनर्जी इंक और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड के बीच ब्लाक सीवाई-ओएस/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(28) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अडाणी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीके-ओएसएन-2009/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(29) भारत सरकार तथा केर्न इंडिया लिमिटेड और केएर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2009/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(30) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक वीएन-ओएनएन-2009/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(31) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और जियोपेट्रोल इंटरनेशनल इंक और एनप्रो इंडिया लिमिटेड और जियोनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच खरसांग फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(32) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2001/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(33) भारत सरकार तथा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोडाइन इंक, यूएसए के बीच असजोल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(34) भारत सरकार तथा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच उत्तरी बलोल के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(35) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड के बीच ब्लॉक आरजे-ओएन- 6 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(36) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन- 2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(37) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इंक के बीच ब्लॉक सीबीओएनएन-2000/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(38) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2001/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(39) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2001/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(40) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जुबिलेंट एनप्रो लिमिटेड और जियोग्लोबल रिसोर्सेज (इंडिया) इंक के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(41) भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जुबिलेंट एनप्रो प्राइवेट लिमिटेड और प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और जियो ग्लोबल रिसोर्सेज (बारबाडोस) इंक. के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2002/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(42) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीवाई-ओएनएन-2002/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(43) भारत सरकार तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन2003/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(44) भारत सरकार तथा केर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केर्न एक्सप्लोरेशन (नंबर 4) लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएनएन2003/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(45) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(46) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीएस-ओएसएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(47) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और जियोग्लोबल रिसोर्सेज (बारबाडोस) इंक. के बीच ब्लॉक केजी-ओएनएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(48) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(49) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम

कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सुनटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबीओएनएन-2004/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(50) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(51) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और शिव-वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमजेड-ओएनएन-2004/1 (फ्रंटियर एरिया ब्लॉक) के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(52) भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीवाई-ओएनएन-2004/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(53) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमबी-ओएसएन-2005/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(54) भारत सरकार तथा अदानी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमबीओएसएन-2005/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(55) भारत सरकार तथा एस्सार एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड और नोबल एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड ऑयल के बीच ब्लॉक एमबी-ओएसएन-2005/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(56) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/10 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(57) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(58) भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड और दीप एनर्जी एलएलसी और दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कनवेल फाइनेंस लिमिटेड और सावला एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक एसआर-ओएनएन-2005/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(59) भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीके-ओएसएन-2010/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(60) भारत सरकार तथा भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/8 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(61) भारत सरकार तथा बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/11 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(62) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड और ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच ब्लॉक एए ओएनएन-2010/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(63) भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(64) भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड, एलएलसी और केजीएन ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन2010/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(65) भारत सरकार तथा पैनइंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/5 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(66) भारत सरकार तथा फोकस एनर्जी लिमिटेड और बिर्कबेक इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के बीच ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2010/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(67) भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड, एलएलसी, दीप नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और सफल डब्ल्यूएसबी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सफल) के बीच ब्लॉक वीएन-ओएनएन2010/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7438/17/22)

... (<u>व्यवधान</u>)

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3184(अ) जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के पुनर्चक्रण के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)|

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7439/17/22)

(2) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7440/17/22)

<u>अपराह्न 2.03 बजे</u>

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 3 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2022 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

<u>अपराह्न 2.03 1/4 बजे</u>

<u>सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति</u>

8वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.03 1/2 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

21वें से 23वां प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी (मछलीपट्टनम): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) बीमा लोकपाल नियम, 2017 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा और सामान्य श्रेणी (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2015 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

3) खनिज (गैर-अनन्य पूर्व-परीक्षण परमिट) नियम, 2015 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.03 3/4 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

6वां प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, मैं 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना के विशेष संदर्भ में "शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण" विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2021-2022) के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

30वां प्रतिवेदन

[हिंदी**]**

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़) : महोदय, मैं 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आशासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 20) के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17 वीं लोक सभा) के 22 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियाँ/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-काईवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.04 1/4 बजे

श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति

34वां और 35वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) श्रम और रोज़गार मंत्रालय तथा कुछ अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 'अन्तर-राज्य प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय' के बारे में समिति) के 16 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस)/राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना(एनएटीएस)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-काईवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04 1/2 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

12वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चंपारण) : महोदय, मैं 'भारतीय रेल में यात्री आरक्षण प्रणाली' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04 3/4 बजे

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति

14वां और 15वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, मैं आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) 'प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)' विषय के बारे में 10 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई संबंधी 15 वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.05 बजे

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

32वें से 36वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : महोदय, मैं कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन। ।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गईकार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्युमिनियम और कॉपर उद्योगों का विकास' विषय के बारे में 31 वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35 वां प्रतिवेदन।

(5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' विषय के बारे में 36 वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.05 ½ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पैतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 2.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[हिंदी]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल): सभापति महोदय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एल.टी. 7425/17/22

<u>अपराह्न 2.06 1/2 बजे</u>

(2) (क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के संबंध में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के संबंध में विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 315वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति*

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित उद्योग संसदीय स्थायी समिति के 315 वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए क्रमशः सं. एल.टी. 7426/17/22 और 7427/17/22

<u>अपराह्न 2.07 बजे</u>

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति[2]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):श्री भगवंत खुबा की ओर से, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

---

[2] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एल.टी. 7428/17/22

<u>अपराह्न 2.07 1/2 बजे</u>

(4) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति *

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (ई. बिश्वेश्वर टुडु): महोदय, मैं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के संबंध में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखें सं. एल.टी. 7429/17/22

<u>अपराह्न 2.08 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र --- जारी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री विमानन (जनरल) (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन भारत-संघ सरकार (वाणिज्यिक) के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (2022 का नंबर 11) (अनुपालन लेखापरीक्षा) के एन.एच.ए.आई., सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बॉट परियोजनाओं में प्रीमियम को युक्तिसंगत बनाने/परिवर्तन पर प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7430/17/22)

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 20202021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7431/17/22)

(4) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7432/17/22)

(6) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 08 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(तीन) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7433/17/22)

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 364(अ) जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

राष्ट्रीय राजमार्ग को कर्नाटक राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(दो) का.आ. 709(अ) और का.आ. 711(अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(तीन) का.आ. 791(अ) और का.आ. 792(अ) जो 18 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(चार) का.आ. 850(अ) और का.आ. 851(अ) जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग को तेलंगाना राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1591(अ) और का.आ. 1593(अ) जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को तमिलनाडु राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1030अ) और का.आ. 1031(अ) जो 09 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(सात) का.आ. 1129 (अ) और का.आ. 1130(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1261(अ) जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1880(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(दस) का.आ. 2016 (अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2017 (अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है

(बारह) का.आ. 2214 (अ) जो 13 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2253 (अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2365(अ) और का.आ. 2366(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(पंद्रह) का.आ. 2402(अ) और का.आ. 2408(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को बीआरओ को सौंपने के बारे में हैं।

(सोलह) का.आ. 2773 (अ) जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2815(अ) और का.आ. 2817 (अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को गुजरात राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(अठारह) का.आ. 2818(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बिहार राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(उन्नीस) का.आ. 2917 (अ) जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2918(अ) और का.आ. 2920(अ) जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(इक्कीस) का.आ. 3049(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 3113(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 3123(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 3136(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 3138(अ) और का.आ. 3141(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(छब्बीस) का.आ. 3163(अ) और का.आ. 3164(अ) जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 3199(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 3253(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 3117(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-544ड़ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 56.803 (वर्तमान किमी. 0.00 से किमी. 59.100) के कोडिकोण्डा जंक्शन से मडकसीरा खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 3120(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-214 (नया एनएच 216) के डिजाइन किलोमीटर 45.000 से किलोमीटर 106.000 (वर्तमान किमी. 41.161 से किमी. 105.170) के गुराजानापल्ली से पसारलापुडी परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 3147(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709ख के डिजाइन किलोमीटर 61.409 से किलोमीटर 124.181 (वर्तमान किमी. 92.200 (शामली के निकट) से किमी.155.025 (सहारनपुर के पास) के शामली से सहारनपुर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 3181(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-233 (नया एनएच-28) के डिजाइन किलोमीटर 180.420 से किलोमीटर 240.340 (वर्तमान किमी. 169.070 से किमी. 232.140) के घाघरा पुल से वाराणसी खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 3182(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में पुराना एनएच-206 (नया एनएच-73 और 69) के डिजाइन किलोमीटर 12.300 से किलोमीटर 83.800 (वर्तमान किमी. 12.310 से किमी. 85.100) के मल्लासांद्रा से तिपतुर बाईपास अंतिम खण्ड और डिजाइन किलोमीटर 83.800 से किलोमीटर 155.300 (वर्तमान किमी. 85.100 से किमी. 151.200) के तिपतुर बाईपास अंतिम से बिरूर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 3197(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365खख (पुराना एसएच-42) के डिजाइन किलोमीटर 0.420 से किलोमीटर 59.046 (वर्तमान किमी. 0.000 से किमी. 50.750) के सूर्यापेट-खम्मम खण्ड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 3198(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-47ख (नया एनएच-944) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 16.376 (वर्तमान किमी. 4.900 से किमी. 22.600) के नागरकोइल से कवलकिनारू की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 3205(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-60 के डिजाइन किलोमीटर 12.190 से किलोमीटर 42.000 के नासिकफटा से खेड़ खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 3206(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के डिजाइन किलोमीटर 149.900 से किलोमीटर 195.733 (वर्तमान किमी. 140.200 से किमी. 186.000) के अलीगढ़-कानपुर खण्ड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 3222(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-60 के किलोमीटर 76.600 से किलोमीटर 112.000 के सवाई माधोपुर से श्योपुर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 3223(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ग के मन्था तालुक सीमा – वातुरफाटा-अस्ती-माजलगांव-धरूर-कैज-कलम्ब-यरमाला-कुशालम्ब-बरशी के किलोमीटर 101.740 से किलोमीटर 159.258 (खण्ड-3) के माजलगांव से कैज खण्ड की बाह्य पट्टी वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या एल. टी. 7434/17/22)

<u>अपराह्न 2.09 बजे</u>

नियम 377* के अधीन मामले

[हिंदी**]**

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएग। जिन माननीय सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दे दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के लिए इच्छुक हैं, वे तुरंत मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरवाडीह, लातेहार और छीपादोहर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में

[हिंदी]

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में बरवाडीह रेलवे जंक्शन है तथा लातेहार जिला मुख्यालय का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। बरवाडीह, लातेहार एवं छीपादोहर रेलवे स्टेशनों पर रेल गाड़ियों का पहले ठहराव होता था, परन्तु अब इन स्टेशनों पर ठहराव नहीं दिया गया है। इन स्टेशनों से छोटे व कम राजस्व वाले स्टेशनों पर गाड़ियों का ठहराव है परन्तु इन स्टेशनों पर ठहराव नहीं दिया जा रहा है।

मेरे द्वारा बार - बार रेल मंत्री जी से तथा मंत्रालय के अधिकारियों से इस संबंध में अनुरोध किया जाता रहा है। परन्तु इन स्टेशनों पर ठहराव अभी तक पुनः चालू नहीं किया गया है।

अत: मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि बरवाडीह, लातेहार एवं छिपादोहर रेलवे स्टेशनों पर पलामू एक्सप्रेस, रांची-सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस, सम्बलपुरमंडुआडीह द्वि-साप्ताहिक, हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस, हावड़ाभोपाल एक्सप्रेस, रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, रांची-नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस और शक्ति पुंज एक्सप्रेस आदि गाड़ियों का ठहराव शीघ्र आरंभ किया जाए।

(दो) संविधान की आठवीं अनुसूची में कोशाली को शामिल किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलंगीर): कोशाली एक प्राचीन, मूल और विशिष्ट भाषा है जिसका इतिहास बहुत समृद्ध और गौरवशाली है। यह पश्चिमी ओडिशा की विशिष्ट संस्कृति और विरासत से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। यह 5 प्राकृत भाषाओं में से एक है, वास्तव में अर्ध-मगधी प्राकृत, जिसका अपना व्याकरण, व्यापक शब्दावली, मुहावरे और कहावतें हैं। यह उड़िया या बंगाली की उप-भाषा नहीं है। कौशल क्षेत्र के लोग, जिनका हमारे महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, वेदिक और पौराणिक युग में कौशाली में संवाद कर रहे थे।

यह पश्चिमी ओडिशा के 10 जिलों की मातृभाषा है, जिसमें ओडिशा की आबादी का 40-50% और छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस क्षेत्र में पर्याप्त आदिवासी आबादी है।

लगभग 4500 लेखक कोशली प्रकाशनों में लेखों का योगदान करते हैं। इस भाषा में प्रतिवर्ष लगभग 2300 पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। कौशाली साहित्य, नाटक, गीत और नृत्य दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। सम्बलपुर विश्वविद्यालय कौशाली में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कराता है। हमारे 15 राज्यों और सभी 7 संघ राज्य क्षेत्रों में एक से अधिक आधिकारिक भाषा है। इस वर्ष श्री नरसिंह प्रसाद गुरु जी को कौशाली के प्रचार-प्रसार में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इस प्राचीन भाषा की रक्षा और संरक्षण के लिए कौशाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

(तीन) गुजरात के नरोडा में ईएसआईसी अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में

[हिंदी]

श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व): मेरे निर्वाचन क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व के नरोडा में एक ईएसआईसी अस्पताल है। अस्पताल का कुल क्षेत्रफल लगभग 66571 वर्ग मीटर है, जिसमें से लगभग 26628 वर्ग मीटर भूमि टीपी योजना संख्या:-98 अंतर्गत अहमदाबाद (एएमसी) द्वारा मेडिकल कॉलेज और उनकी गतिविधियों के लिए आरक्षित रखी गई है और शेष 39943 वर्ग मीटर ई एस आई सी के पास है|

वर्तमान में ईएसआईसी अस्पताल केवल ईएसआई योजना के तहत पंजीकृत सदस्यों का ही इलाज कर रहा है। हालांकि अस्पताल में 210 बिस्तरों की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में केवल 50 रोगियों को ही भर्ती किया जा रहा है और ओपीडी भी बहुत कम है, क्योंकि बापूनगर में एक और ईएसआईसी (अत्याधुनिक) अस्पताल है।

मेरा माननीय श्रम और रोजगार मंत्रीजी से विनम्र अनुरोध है कि उसी अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी जनरल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए और एएमसी से एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए उपरोक्त आरक्षित भूखंड की मांग की जाए। यह अस्पताल अहमदाबाद (पूर्व) और खेड़ा संसदीय क्षेत्रों की जनता के लिए मददगार होगा।

(चार) झारखंड के देवघर जिले में जल-विद्युत या ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के बारे में

श्री सुनील सोरेन (दुमका): संथाल परगना में एनटीपीसी कहलगांव या फिर डीवीसी मैथन विद्युत संयंत्रों से बिजली की आपूर्ति हो रही है। जबकि दुमका लोक सभा क्षेत्र अंतर्गत देवघर जिला के सारठ प्रखंड क्षेत्र के सिकटिया बराज में जल विद्युत संयंत्र (हाइडल) पावर या फिर थर्मल पॉवर के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है जहां जमीन व पानी की उपलब्धता है।

अगर एनटीपीसी के द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट अधिष्ठापित करने की आवश्यकता महसूस हुई तो महज 14 किलोमीटर की दूरी पर कोयले का प्रचुर भंडार है। ईसीएल की परियोजना एसपी माइंस चितरा कोलियरी है। यहां से थर्मल पावर प्लांट के लिए आसानी से कोयला उपलब्ध हो सकता है। कोयले के संप्रेषण खर्च में भी कमी आएगी।

मैं विभागीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्यों पर विचार करते हुए इसका निदान किया जाए।

(पांच) रीवा-मुंबई सीएसएमटी रेलगाड़ी (गाड़ी संख्या 02187/88) के प्रचालन के बारे में

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ रीवा-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-रीवा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 02187 रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच प्रत्येक गुरूवार को चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 28 जुलाई 2022 तक और वापसी में गाड़ी संख्या 02188 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रीवा के बीच प्रत्येक शुक्रवार को चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी 29 जुलाई 2022 तक के लिए विस्तारित की गई है। उक्त ट्रेन ने चलाई गयी अवधि के दौरान रिकोर्ड राजस्व अर्जित किया है। इस गाड़ी की लोकप्रियता को देखते हुए मेरा रेल मंत्री जी अनुरोध है कि इस गाड़ी को नियमित रूप से चलाया जाए जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों, इलाज के लिए जाने वाले मरीज़ों , व्यापार एवं नौकरी पेशा लोगों के लिए सुविधा प्रदान होती रहेगी।

(छह) बांसवाड़ा (राजस्थान) में मानगढ़ धाम एवं इसकी परंपरागत आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मैं अपने संसदीय क्षेत्र में स्थित मानगढ़ धाम (बांसवाड़ाराजस्थान) की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जहाँ पर 17 नवम्बर, 1913 को जलियावाला बाग से भी बड़ा हत्याकांड हुआ था। हमारे राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर के मानगढ़ धाम पर अंग्रेजों के खिलाफ हुए संघर्ष में बलिदान देने वाले 1500 आदिवासी भाईयों एवं आदिवासी समाज में भक्ति-भाव को जगाने वाले महापुरूष गोविन्द गुरू महाराज सहित हजारों आदिवासी भाईयों को अंग्रेजों ने गोली, तोप, बन्दूकों से भून दिया था और वे सभी देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में मारे गए थे। मानगढ़ धाम आदिवासी भाईयों एवं सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थान है। राजस्थान एवं गुजरात प्रांत की सीमा पर आनंदपुरी पंचायत समिति जिला बांसवाड़ा के पहाड़ पर स्थित है। पिछले समय में पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती बसुन्धरा राजे जी एवं गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी-अपनी सीमा पर बहुत विकास किया है। 13 करोड़ रूपये से भी अधिक धनराशि के कार्य किए गए हैं। यहां सामुदायिक भवन, गोविन्द गुरू के साथ आदिवासी भाईयों को चित्रण सहित पैनारमा बनाया गया है तथा स्मारक भी है। यह पर्यटन का एक ऐतिहासिक स्थान है, प्रति वर्ष यहां पर हजारों लोग इस पवित्र भूमि के व धुणी के दर्शन करने आते हैं। यह बलिदानी भूमि है तथा यह स्थान देश के लिए गौरव है। मैं मानगढ़ धाम की पवित्र भूमि व आदिवासी परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जनजातीय कार्य मंत्री व संस्कृति मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ।

(सात) रेल परियोजनाओं हेतु जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की दर एवं रोजगार के बारे में

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र रावेर में कार्यरत सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीज़न में प्रस्तावित भुसावल जलगाँव चौथी-लाइन परियोजना जो आज से 5-6 साल पहिले शुरु की गई उसकी कठिनाई को बताने जा रही हूँ, जो अब हमारे इस क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्या बन गई है। हमारी भुसावल- जलगाँव चौथी-लाइन परियोजना 5-6 साल पुरानी 2017 की परियोजना है। मै हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पर्याप्त बजट उपलधता होने के कारण इस परियोजना के कार्य को गति प्रदान कर पाई है। मैं जो मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ वह यह है कि 11.11.2019 का एक सर्कुलर-पत्र से यह आदेश प्राप्त हुआ कि अब भूमि अधिग्रहण के बाद रेलवे में दी जानेवाली नौकरियां देना बंद हो जाएगी और साथ ही मुआवजे की राशि कम कर दी जाएगी। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों के वे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे और बहुत किसान भूमिहीन हो जायेंगे और बचे हुए कुछ किसानों का उत्पादन घट जाएगा जो इस परियोजना से जुड़े हुए है। मेरा आग्रह है कि 11.11.2019 सर्कुलर-पत्र आदेश से पहले जितने भी ऐसे भूमि अधिग्रहण के मामले हैं उन्हें रेलवे में मुआवज़ा नौकरी नियुक्ति दी जाए जैसे जबलपुर मंडल के अधीन रीवा-सीधी-सिंगरोली तथा सतना- पन्ना नई रेललाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के आश्रितों को पिछले साल 2021 में नौकरियां दी गई और साथ ही भूमि-अधिग्रहण मुआवजे की मार्किट रेट से राशि का वितरण किया जाए।

(आठ) उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में सोनिया विहार में मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली की सोनिया विहार कॉलोनी की बदतर हालत की ओर दिलाना चाहता हूं जहां जन सुविधाओं का घोर अभाव है पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है तो सड़को की मरम्मत बीते 8 वर्ष से नहीं हुई है। लगभग 4 वर्ग किलोमीटर में बसी सोनिया विहार कॉलोनी में 3 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं 1 प्राथमिक विद्यालय हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मासूम बच्चों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है या यूं कहें जान जाखिम में डालकर बच्चे विद्यालय पहुंचते हैं क्योंकि गलियों में यह निर्णय करना कठिन है कि यह गली है या गंदे पानी का नाला खासतौर से बारिश के दिनों में हाल और भी बुरा हो जाता है। सोनिया विहार कॉलोनी के रखरखाव का जिम्मा दिल्ली सरकार के डीएसआईडीसी विभाग के पास है और स्थानीय विधायक के द्वारा सड़कों और नालियों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिसके कारण एक बड़ी आबादी के सामने महामारी फैलने, बड़ी दुर्घटना होने और उसमें बड़ी जनहानि का खतरा उत्पन्न हो गया है अतः मैं माननीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे मामले पर संज्ञान लेकर सोनिया विहार निवासियों को उनके मूल अधिकार जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्णय लेने की कृपा करें।

(नौ) ओडिशा में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की समान रूप से आपूर्ति किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ): उर्वरक विभाग, भारत सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुसार ओडिशा के लिए सभी रियायती उर्वरकों जैसे डी.ए.पी., यूरिया; मॉप, आदि का आवंटन सुनिश्चित कर रही है। लेकिन उत्पादकों, राज्य सरकार के अधिकारियों और निजी थोक विक्रेताओं के प्रबंधन का कथित गठजोड़ उर्वरकों की कथित कृत्रिम कमी पैदा कर रहा है और किसानों को रियायती कीमतों की तुलना में बहुत अधिक कीमत पर उन्हें खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उर्वरकों के लिए सुनियोजित वितरण प्रणाली को ओडिशा में राज्य स्तर पर उपरोक्त गठजोड़ द्वारा निम्नलिखित तरीके से बर्बाद किया जा रहा है: भारत सरकार ओडिशा को उर्वरकों का आवंटन कर रही है जिसकी आपूर्ति विभिन्न उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं जैसे पीपीएल, आईपीएल, इफको, केएफएल, एनएफसीएल, एनएफसीएल, आरसीएफ, एमएफसीएल और सीआईएल द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार आपूर्तिकर्ताओं को ओ.एस.सी.एम.एफ., और ऍम्प; ओ.ए.आई.सी. और सीमित निजी थोक विक्रेताओं जैसी राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार विभिन्न जिलों को इसकी आपूर्ति करने का निर्देश दे रही है। अधिकांश निजी निर्माता और आपूर्तिकर्ता जैसे पी.पी.एल., आई.पी.एल. एम.एफ.सी.एल., आदि विभिन्न जिलों में निजी थोक विक्रेताओं की सीमित संख्या के माध्यम से अपने अधिकांश कोटा की आपूर्ति कर रहे हैं। फिर से लगभग सभी आपूर्तिकर्ता जिले में एक ही थोक विक्रेताओं को अन्य उपलब्ध निजी थोक विक्रेताओं और सरकारी और सहकारी एजेंसियों से परहेज कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप, विभिन्न ब्लॉकों में उर्वरकों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए हर जिले में कुछ विशिष्ट निजी थोक विक्रेताओं का पूरा एकाधिकार हो रहा है। वे इसकी आपूर्ति उन ब्लॉक स्तर के थोक विक्रेताओं को कर रहे हैं जो कथित रूप से अधिक कीमत का भुगतान कर रहे हैं और जो कंपनी से अधिकतम मात्रा में अन्य गैर-सब्सिडी वाले कीटनाशकों और जैव-उर्वरकों को खरीदने के लिए तैयार हैं। ब्लॉक स्तर का थोक विक्रेता, बदले में, गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों की टैगिंग करके स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को ऊंची कीमत पर नीलामी करता है। इस तरह,

किसानों को इतने अधिक मूल्य पर सब्सिडी वाले उर्वरक खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए, मैं माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि ओडिशा में उर्वरकों की कृत्रिम कमी की जांच करें और राज्य सरकार और सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दें कि वे सभी राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों, विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक सहकारी समितियों और सभी निजी थोक विक्रेताओं को सभी रियायती उर्वरकों की एक समान आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(दस) महाराष्ट्र में नांदेड़-लोहा-अहमदपुर-लातूर सड़क और बोधन-मुखेड-लातूर सड़क रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में

[हिंदी]

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): रेलवे ने नई लातूर रोड - नादेड़ रेल लाईन का सर्वेक्षण कार्य करवाया था परन्तु ज्ञात हुआ है कि इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट को रेल बोर्ड ने अस्वीकार कर फाईल बंद कर दी है। यदि इस लातूर रोड- नादेड़ नई रेल लाईन को 100किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो इससे वर्धा यवतमाळ नांदेड रूट भी जुड़ जाएगा। यह मार्ग होने से वर्धा - यवतमाल मार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक, केरल किनारपट्टी से भी जुड़ जाएगा। यही नहीं यह मार्ग होने से पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, कर्नाटक एवम उत्तर भारत का अंतर 175" " किलोमीटर तक कम होगा, नांदेड पुणे का अंतर 110" " किलोमीटर, नागपुर- कोल्हापूर का अंतर 175" " किलोमीटर तथा नागपुर-पुणे का अंतर 70" " किलोमीटर तक कम हो जाएगा। बीदर से नांदेड जाने के लिए भी लातूर रोड से यह मार्ग प्रशस्त होगा। यही नहीं, इस रेल मार्ग के बनने से इस मार्ग पर पड़ने वाले कई ज्यों के सैंकड़ों गांवों के लोगों को रेल सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इससे छोटे-मंझोले और बड़े पापारियों एवं किसानों को अत्यधिक फायदा होगा एवं रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में नांदेड. हा. अहमदपुर - लातुर रोड एवं बोधन-मुखेड-लातूर रोड नया रेल मार्ग का पुन: सर्वेक्षण करवाया जाए तथा इस लाईन के निर्माण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(ग्यारह) राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): संसदीय क्षेत्र अजमेर के केकड़ी/मसूदा/दूदू विधानसभा क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं होने से क्षेत्रवासियों एवं छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय विद्यालय संगठन से समुचित एवं समग्र शिक्षा का स्थानीय स्तर पर लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जबकि उक्त तीनों विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में लगभग 02.50 लाख से 02.70 लाख की आबादी निवासरत है। और केकड़ी/मसूदा/दूदू परिक्षेत्र में भारतीय सेना के लगभग 7500-8000 पूर्व एवं वर्तमान सैनिक परिवार भी निवास करते हैं, लेकिन अजमेर संसदीय क्षेत्र में अजमेर शहर, किशनगढ़, नसीराबाद एवं ब्यावर में केन्द्रीय विद्यालय संचालित होने से केकड़ी/मसूदा/दूदू परिक्षेत्र के वाशिंदों, छात्र-छात्राओं एवं सैनिक परिवारजनों को उक्त स्थापित केन्द्रीय विद्यालय की 70 से 80 किमी की दूरी पर स्थित होने के कारण इनमें शिक्षा अध्ययन का समग्र एंव समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में मेरे द्वारा नवीन केन्द्रीय विद्यालय केकडी/मसूदा/दूदू परिक्षेत्र में खोलने हेतु पुरजोर मांग करने पर पत्राचार पश्चात राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर द्वारा भी निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्ताव तैयार कर उचित माध्यम से दिल्ली भिजवाये गये। अतः अजमेर संसदीय क्षेत्र के विधानसभा केकड़ी/मसूदा/दूदू परिक्षेत्र में केन्द्रीय मानव संसाधन विभाग की विभागीय कार्य योजनान्तर्गत चालू बजट वर्ष 2022-23 में उक्त नवीन केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना भी चैलेंज मेथड़ के तहत स्वीकृत करवाने की महती कृपा करें।

(बारह) वन सीमा के आस-पास बफर जोन बनाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

एडवोकेट डीन कुरियाकोस (इडुक्की): मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र इडुक्की में जंगल के आस-पास रह रहे लाखों लोगों के जीवन से संबंधित है। वन सीमा के बाद 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को बफर जोन के रूप में बनाने पर उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय से केरल के लोग काफी हद तक प्रभावित होंगे। मूल रूप से, यह निर्णय तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाए गए पारिस्थितिक मुद्दे पर आधारित था। हालांकि, अदालत ने अन्य राज्यों से परामर्श किए बिना पूरे देश के लिए फैसला सुनाया। पारिस्थितिक कारक और उनकी रक्षा करने का तरीका भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न होता है। इसलिए, राज्यों में पारिस्थितिकी के संरक्षण के समान मानक को लागू करना वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। इस फैसले का केरल राज्य पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो घनी आबादी वाला है और जहां लाखों लोग राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के बहुत करीब रहते हैं। राज्य में 24 राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें लगभग 30 प्रतिशत वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 "किलोमीटर के क्षेत्र को बफर जोन" घोषित करने से संबंधित फैसले के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो मामले का निपटान करने के लिए एक व्यापक कानून बनाना भी ज़रूरी है। पर्यावरण को संरक्षित किया जाना चाहिए परंतु मानव जीवन के कीमत पर नहीं। इसलिए, मैं सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द लोगों के हित में समाधान किया जाए।

(तेरह) ईएसआईसी एझुकोन को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के बारे में

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्कारा): केरल के कोल्लम जिले के एझुकोन में ई.एस.आई.सी अस्पताल स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह मजदूरों सहित आम आदमी की प्रभावी रूप से और समर्पण के साथ सेवा करता है।

हालांकि, एक पूर्ण आयुर्वेद उपचार और आयुष अस्पताल की स्थापना के माध्यम से इसके वर्तमान उपचार पोर्टफोलियो का विस्तार अनिवार्य है क्योंकि आम आदमी के लाभ के लिए इस तरह के विस्तार और आयुर्वेद उपचार को शामिल करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचें की पर्याप्त गुंजाइश है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि ई.एस.आई.सी. को चौबीसों घंटे विशेषज्ञता आपातकाल, सुपर स्पेशियलिटी आई.पी. का प्रावधान, आधुनिक रक्त बैंक, फार्मेसी, अत्याधुनिक एम्बुलेंस की स्थिति, नव-प्रसव आईसीयू, मौजूदा चिकित्सा ब्लॉक का विस्तार और ई.एस.आई.सी. एझुकॉन का सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कॉलेज में उन्नयन के साथ उन्नत किया जाना चाहिए।

(चौदह) यमन की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (वडाकरा): मैं यमन की यात्रा पर प्रतिबंध के संबंध में मामला उठाना चाहता हूं। 2014 में हूती विद्रोहियों द्वारा सना पर नियंत्रण करने के बाद से यमन में युद्ध चल रहा है। सभी भारतीय नागरिकों को भारतीय अधिकारियों द्वारा किसी भी परिस्थिति में यमन की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी गई थी, क्योंकि यमन में सुरक्षा स्थिति देश के कुछ हिस्सों में जारी सशस्त्र शत्रुता के कारण बिगड़ गई थी। लेकिन 2 अप्रैल, 2022 को युद्धरत पार्टियों के बीच एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसके पश्चात् यमन सरकार और देश के हूथी विद्रोहियों के बीच संघर्ष को 2 अगस्त, 2022 को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

2 अप्रैल को लागू हुए युद्धविराम समझौते के हिस्से के रूप में, संघर्ष के पक्ष यमन के अंदर और इसकी सीमाओं के पार सभी सैन्य संचालन को रोकने के लिए सहमत हुए थे, हूती-नियंत्रित सना से जॉर्डन और मिस्र तक सप्ताह में दो वाणिज्यिक उड़ानें संचालित करते हैं। संघर्षविराम की एक और बड़ी सफलता 16 अप्रैल को सना हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करना थी, जो छह वर्षों में पहली बार की गई थी।

दूतावास में करीब 3000 भारतीयों का पंजीकरण किया गया था। यमन में रहने वाले अधिकांश भारतीयों में अस्पताल के कर्मचारी, पेशेवर, शिक्षाविद, इंजीनियर आदि शामिल हैं। यमन की यात्रा पर प्रतिबंध के कारण भारतीय प्रवासियों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। संधि के आलोक में, मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि यमन की यात्रा करने से प्रतिबंध को हटाया जा सके।

(15) तमिलनाडु में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिए जाने के बारे में

डॉ. गौतम सिगामणि पोन(कल्लाकुरिची): मैं तमिलनाडु के मेडिकल छात्रों, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे थे, के भविष्य के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

उच्च शिक्षा (इंजीनियरिंग और मेडिकल) करने गए लगभग 2000 छात्र मार्च 2022 में तमिलनाडु लौट आए थे।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमिलनाडु इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग छात्रों को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। लेकिन मेडिकल छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। उनके भविष्य को लेकर चिंतित माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। यह देश वापस आए 6 महीने हो गए हैं, जब से वे आए हैं, वे मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हैं। हाल ही में केंद्र ने लोक सभा को बताया था कि मेडिकल छात्रों को समायोजित करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एन.एम.सी.) से कोई अनुमति नहीं मिली है। केंद्र सरकार का यह जवाब बताता है कि उन्हें मेडिकल छात्रों के भविष्य की चिंता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार हमारे मेडिकल छात्रों की शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित है।

इसलिए, मैं एक बार फिर केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को समायोजित करने के लिए एन.एम.सी. को अनुमति देने का निर्देश दिया जाए, ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

(सोलह) नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों के विलय के बारे में

श्री रघु राम कृष्ण राजू (नरसापुरम): मैं सरकार का ध्यान नई शिक्षा नीति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में पास के हाई स्कूलों के साथ विलय करने का प्रस्ताव है। ये दिशानिर्देश का कार्यान्वयन देश में कुछ समस्याएं पैदा कर रहा है।

उदाहरण के लिए, दिशानिर्देशों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विलय के लिए लगभग 5919 स्कूलों को लिया है। स्कूलों के इस विलय के कारण स्कूल की दूरी बढ़ने के कारण अभिभावकों को दूर-दराज के स्कूलों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने में समस्या आ रही है। लगभग, 11 लाख छात्र स्कूलों के तर्कहीन विलय के कारण प्रवेश लेने से बच रहे हैं।

यह आशंका है कि इस विलय के निर्णय से निश्चित रूप से छात्रों की ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले एस.सी, एस.टी, ओ.बी.सी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों तथा बालिकाओ की संख्या में भी कमी आ जाएगी।

इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, आंध्र प्रदेश सरकार स्कूलों और स्कूलों में शिक्षकों की संख्या को कम करने की कोशिश कर रही है और पहली-1से आठवीं कक्षा तक चलने वाले तेलुगु माध्यम को भी खत्म कर रही है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया स्कूलों के विलय के औचित्य को त्रुटिपूर्ण पाया है। यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया जी.ओ. संख्या 117 शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह स्कूलों के विलय के नाम पर छात्रों के लिए कोई समस्या पैदा किए बिना एन.ई.पी. के कार्यान्वयन के मामले में हस्तक्षेप करे अन्यथा ड्रॉपआउट दर में वृद्धि होगी।

(सत्रह) महाराष्ट्र के लोनावाला में मावल संसदीय क्षेत्र में स्थित, टाइगर प्वाइंट में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिंदी]

श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में लोनावाला, खंडाला प्रसिद्ध हिल स्टेशन है प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में इन जगहों पर पर्यटक आते हैं और यह पर्यटक ज्यादाकर लोनावाला में स्थित टाइगर पॉइंट पर घूमने जाते हैं जबकि यह टाइगर पॉइंट की जगह फारेस्ट विभाग की है और यहाँ पर पर्यटकों के लिए सुविधा की कमी है। अगर केंद्र सरकार अथवा पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ बैठकर इस विषय पर पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार कर जरुरी सुविधा एवं मनोरंजन और पार्किंग की व्यवस्था की जाती है तो निश्चितरूप से यह पर्यटकों के लिए सुविधा हेतु एक अच्छा कार्य होगा। मैं केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वह महाराष्ट्र राज्य के साथ इस विषय पर एक सयुंक्त बैठक कर इस टाइगर पॉइंट पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नीति बनाये।

(अठारह) नेपाल में कोसी नदी पर बांध के निर्माण की आवश्यकता

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है। देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी में 22.1 प्रतिशत हिस्सा बिहार का ही है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 फीसदी इलाका बाड़ की मार झेलने को विवश है। बिहार में देश के अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों की तुलना में नुकसान ज्यादा होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5 प्रतिशत बिहार में है। जब तक नेपाल में कोसी नदी पर हाई डैम नहीं बनाया जाता तब तक बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिल सकती है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बनाने से कोसी के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी क्योंकि कोसी का उद्गम स्थल नेपाल में ही है। इस परियोजना के पूरा होने से दक्षिण पूर्व नेपाल और उत्तर बिहार को बाढ़ से राहत मिलेगी वहीं दोनों देशों को सिचाई की भी सुविधा प्राप्त होगी । मैं केंद्र सरकार से माँग करता हूँ कि कोसी नदी पर जल्द से जल्द हाई डैम बनाने हेतु करवाई की जाय।

(उन्नीस) उर्वरकों और बीज की कीमतों में हुई वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): सरकार लगातार रासायनिक खाद के दाम बढ़ा रही है। इसके कारण किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। पहले ही पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ने से खेती के काम में भी महंगाई बढ़ी है। और अब मानसून के पहले रासायनिक खाद के दाम बढ़ गए हैं। पिछले वर्ष डीएपी खाद 1200 रुपये प्रति बोरी मिल रही थी। इस वर्ष दाम 1350 रूपये हो गए हैं। सुपर फस्फेट प्रति बोरी के दाम 375 रुपये से बढ़कर 425 रुपये, पोटाश खाद के दाम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1700 रुपए प्रति 50 किलो बोरी किए गए हैं। पोटाश खाद में रिकार्ड 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वही सोयाबीन का बीज भी पिछले साल सब्सिडी काटकर 7000 रुपये में मिल रहा था। इस वर्ष सब्सिडी काटने के बाद 8100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। इस तरह सोयाबीन बीज पर भी प्रति क्विंटल 1100 रुपये की वृद्धि कर दी गई। एनपीके 123216 के दाम भी पिछले साल ही 1185 रुपये से बढ़ाकर 1470 रुपये हो गए हैं। इस तरह लगातार खाद के दाम की बेतहाशा वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है और लगातार खेती घाटे का सौदा साबित होने जा रही है। मेरा माननीय कृषि मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री और प्रधान मंत्री जी से अनुराध है कि रासायनिक खाद के बढ़े हुए दामों को वापस ले और कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे किसानों को राहत दें।

(बीस) जाति-आधारित जनगणना तथा रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं अपनी मांग को पुन: दोहराता हूँ कि सरकार को भारत में जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ है, लेकिन बाद की सरकारों ने 1931 डेटा का उपयोग किया है जब आबादी लगभग 27 करोड़ थी। इस त्रुटिपूर्ण डेटा के परिणामस्वरूप अप्रचलित नीतियां बनी हैं जिसके कारण पात्र व्यक्ति उन्हें मिलने वाले अवसरों से वंचित रह जाते हैं। साथ ही, मैं पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग करता हूँ। यह ओ.बी.सी. समुदाय के कल्याण और विकास की दिशा में ठोस और कुशल प्रयास सुनिश्चित करेगा। 1 जनवरी 2021 तक, केंद्र सरकार के 9 प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में ओ.बी.सी. आरक्षित सीटों पर 19,000 से अधिक रिक्तियां थीं। इसी तरह, एस.सी. के लिए संख्या लगभग 17000 और एस.टी. के लिए 13000 थी। दुःख की बात है कि इन रिक्तियों को नहीं भरे जाने से आरक्षण का उद्देश्य पूरा नही हो पा रहा है। इस प्रकार, सरकार को इन रिक्तियों को जल्द से जल्द कुशल तरीके से भरने के लिए एक कार्य योजना बनानी चाहिए।

(इक्कीस) ब्रेल एवं संकेत भाषा के विकास तथा कॉकलियर इंप्लांट उपकरणों पर जीएसटी के बारे में

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): सरकार को देश में नेत्रहीन व्यक्तियों के उपयोग के लिए ब्रेल भाषा विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इसी तरह, साइन लैंग्वेज के विकास की भी आवश्यकता है। हमें यह सोचना चाहिए कि 63 मिलियन बधिर और 18 मिलियन से अधिक अंधे लोग हैं।

जब देश समावेशी विकास के बारे में सोचता है, तो इन लोगों पर प्राथमिकता के तौर पर विचार करना चाहिए।

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन बच्चों ने कॉकलियर इम्प्लांटेशन सर्जरी कराई थी, उन्हें अब सिस्टम के रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है। यह कहना दुखद है कि इन उपकरणों पर 18% की दर से जी.एस.टी. लगाया जाता है जिसे मानवीय आधार पर माफ किया जाना चाहिए।

(बाईस) अग्निपथ योजना के बारे में

[**हिंदी**]

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सेना में अग्निपथ योजना के माध्यम से संविदा भर्ती के निर्णय को वापिस लेने के संबंध में प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूं कि सेना जैसे संस्थान में संविदा भर्ती का निर्णय किसी भी दृष्टि से सही नहीं है और यह निर्णय न तो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हित में है और न ही सेना के लिए सही है। केन्द्र सरकार के इस फैसले के विरूद्ध में राजस्थान सहित देश भर के युवा आंदोलित हैं। ऐसे में सरकार को युवा वर्ग की भावना को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। अग्निपथ के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती में सेवा के चार वर्षों के बाद युवाओं के भविष्य पर भी सवालिया निशान है क्योंकि इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को न तो कोई रैंक मिलेगी, न ही कोई प्रमोशन मिलेगा और न ही कोई पेंशन मिलेगी और चार वर्षों के बाद किसी को रिटायर करके सरकार भेजेगी तो उसका आगे का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा यह चिंता का विषय है। आज सरकार अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की बात करती है लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्व सैनिकों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में क्रमशः 10 और 20 प्रतिशत पद आरक्षित होने के बावजूद हकीकत में 1.29 प्रतिशत और 1.66 प्रतिशत नौकरी ही दी जा सकी वहीं केन्द्रीय सुरक्षा बलों में भी पूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत नौकरी देने की बात कही गई लेकिन हकीकत यह है कि 1 प्रतिशत से भी कम पूर्व सैनिकों को नौकरी मिल पाई है, इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि पुराने तर्ज पर सेना भर्ती रैलियों का आयोजन दो वर्ष की छूट आयु में देते हुए प्रारंभ किया जाए और भारतीय सेना के साथ नेवी और वायु सेना की सभी लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए और इस टीओडी/अग्निपथ योजना के फैसले को वापिस लिया जाए।

अपराह्न 2.10 बजे

सांविधिक संकल्प: सीमा शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन के संबंध में

[हिंदी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

> "कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 28/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380 (अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उदग्रहीत किया जा सके।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 28/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380 (अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उदग्रहीत किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.10 1/2 बजे

वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन के लिए अनुमोदन के संबंध में सांविधिक संकल्प

[हिंदी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय सभापति महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूँ:-

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 05/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 [सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 30 जून, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि कच्चे तेल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जा सके।"

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 05/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 [सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 30 जून, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि कच्चे तेल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जा सके।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमें बहस करनी चाहिए, सभा की कार्यवाही चालू रखनी चाहिए। आपका यह व्यवहार शोभा नहीं देता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 5 अगस्त, 2022 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 / 14 श्रावण, 1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित